UPSD010025512026

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट), सिद्धार्थनगर।

अन्तिम आख्या वाद संख्या----------४१४/ २०२६

निर्मला देवी------बनाम------सुनील आदि

मुकदमा अपराध संख्या–११८/२०२५

धारा–११५(२),३३३,७५,७६,३५१(३),३५२

बी.एन.एस. व ७/८ पाक्सो एक्ट़

थाना–मिश्रौलिया, **जिला**–सिद्धार्थनगर

दिनांक–०३.०८.२०२६

१– पत्रावली आज में पेश हुई।

२– पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि विवेचक द्वारा समस्त साक्ष्यों की विवेचना कर किसी के विरूद्ध कोई अपराध बनना नहीं पाया है औऱ अन्तिम आख्या प्रस्तुत की है।

३– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा निर्मला देवी पत्नी रामचरन, निवासी भपसी, टोला नवडिहवा, थाना मिश्रौलिया, जिला–सिद्धार्थनगर द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–१७५(३) बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत किया गया, जिस पर इस न्यायालय द्वारा किये गये आदेश के अनुपालन में थाना मिश्रौलिया पर दिनांक ०२.०८.२०२५ को अभियुक्तगण सुनील, राममिलन व मुनील के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या ११८/२०२५ अंतर्गत धारा ११५(२), ३३३, ७५, ७६, ३५१(३), ३५२ बी.एन.एस. व ७/८ पाक्सो एक्ट़ पंजीकृत किया गया। तमामी विवेचना, बयान वादिनी, पीड़िता व गवाहान, निरीक्षण घटना स्थल से किसी अपराध का बनना नहीं पाया गया है और विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या न्यायालय प्रेषित की गयी जिसके बावत वादिनी को नोटिस बजाजखास तामिल है।

४– वादिनी मुकदमा निर्मला देवी ने न्यायालय के समक्ष साक्षी सी.डब्ल्यू.–१ के रूप में भी कथन किया है कि "उसने न्यायालय में सुनील, राममिलन व मुनील के खिलाफ प्रार्थना–पत्र दिया था, जिस पर न्यायालय ने थाना मिश्रौलिया को मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेशित किया था, जिस पर थाना मिश्रौलिया की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उससे पूछताछ करने आयी थी। उसकी लड़की/पीड़िता ने भी पुलिस को सारी बात बतायी थी। उसने लोगों के कहने पर न्यायालय से मुकदमा करा दिया था। उसकी लड़की/पीड़िता के साथ सुनील, मुनील व राममिलन ने कुछ नहीं किया था। उसकी विपक्षीगण से केवल कहा–सुनी हुई थी। पुलिस की जांच से वह सन्तुष्ट है। वह गरीब महिला है। मुकदमा लड़ना नहीं चाहती है। इस मुकदमें को समाप्त किये जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है।"

५– पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष साक्षी सी.डब्ल्यू.–२ के रूप में भी कथन किया है कि "उसकी उम्र १३ साल है। वह कक्षा चार में सरफराज इण्टर कॉलेज बभनी में पढ़ती है। उसकी माता से राममिलन व उनके लड़के सुनील व मुनील से घर को लेकर झगड़ा हो गया था, जिससे उसकी माता ने गुस्से में आकर वकील साहब से मिलकर न्यायालय जाकर प्रार्थना–पत्र दिया था, जिस पर थाना मिश्रौलिया पर मुकदमा लिखा गया था। उसके साथ किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी। राममिलन, सुनील व मुनील ने उसके साथ न तो छेड़खानी किया, न मारा–पीटा था, न उसके साथ गाली–गलौज किया था। उसे जान से मारने की धमकी उन लोगों ने नहीं दी थी। वे लोग उसके घर में भी नहीं घुसे थे।

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR
Date: 2026.08.03 17:26:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उन सभी लोगों ने उसकी बड़ी बहन के साथ भी कुछ नहीं किया था। वह पढ़ाई–लिखाई करती है। मुकदमा नहीं लड़ना चाहती है। मुकदमा समाप्त करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है।"

६– पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–१८० बी.एन.एस.एस. में कहा है कि, "उसकी माता से उसके बड़े पिता राममिलन व उनके लड़के सुनील व मुनील से मकान बंटबारे को लेकर झगड़ा हो गया था, जिससे उसकी माता ने गुस्से में आकर वकील से मिलकर मुकदमा लिखा दिया था। उसके साथ किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है। उसके बड़े पिता व उनके लड़के सुनील व मुनील ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया है।"

७– पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–१८३ बी.एन.एस.एस. में कहा है कि, "उसने अपनी माता के कहने पर झूठे आधारों पर अपने ताऊ के लड़के सुनील पर झूठा आरोप लगाया था। उसके साथ सुनील द्वारा भी गलत काम नहीं किया गया है। उसकी माता व ताऊ के बंटबारे का मुकदमा चल रहा है, जिस कारण अपनी माता के कहने पर उसने झूठी रिपोर्ट लिखवायी है।"

८– इस प्रकार पीड़िता की माता निर्मला व पीड़िता द्वारा दिये गये बयान व पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा–१८० बी.एन.एस.एस. व धारा–१८३ बी.एऩ.एस.एस. के अनुसार विपक्षीगण राममिलन व राममिलन के पुत्र सुनील व मुनील द्वारा वादिनी व पीड़िता के साथ न तो छेड़खानी की गयी, न मारा–पीटा गया, न उनके साथ गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी और न ही कोई घटना कारित की गयी। वादिनी व पीड़िता पुलिस कार्यवाही से सन्तुष्ट हैं और उक्त मुकदमे में वे अब कोई कार्यवाही नहीं चाहती हैं और न ही अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही करना चाहते हैं। उसे पुलिस द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या स्वीकार कर मुकदमा समाप्त करने में कोई आपत्ति नहीं है और न ही भविष्य में कभी होगी। वह मुकदमा लड़ना नहीं चाहते हैं।

९– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले में विवेचक द्वारा मामले से सम्बन्धित साक्षियों का बयान अंकित किया गया और सभी विधिक औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात अभियुक्त के विरूद्ध कोई अपराध बनता न पाकर मामले में अन्तिम आख्या प्रेषित की गयी है। विवेचक द्वारा किये गये विवेचना में कोई तथ्यात्मक या विधिक त्रुटि नहीं है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य/सामग्री के अवलोकन से प्रस्तुत अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

१०– विवेचक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम आख्या स्वीकार की जाती है। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक–०३.०८.२०२६

(बीरेन्द्र कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष
न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट), सिद्धार्थनगर।
जे.ओ. कोड—यू.पी. ६४६३